

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
भूमि एवं विकास कार्यालय

सं. 6(38)/89-सीडीएन

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांकित: 18 मार्च, 2008

कार्यालय आदेश सं. 04/2008

विषय: रूपांतरण (कन्वर्जन) संबंधी आवेदन प्राप्त होने के उपरांत संपत्तियों का निरीक्षण- नीति का संशोधन: इसकी प्रभावकारिता की तारीख के संबंध में स्पष्टीकरण।

इस कार्यालय के दिनांक 05.03.2008 के कार्यालय आदेश सं. 3/08 के तहत यह निर्णय लिया गया है कि कन्वर्जन संबंधी आवेदन पत्र पर कार्रवाई करने से पहले एक अनिवार्य निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि लीज होल्ड अवधि से फ्री होल्ड में रूपांतरण करवाने वाली और आवेदन पत्र मिलने की तारीख से विगत एक वर्ष में निरीक्षण न करवाई गई संपत्तियों में किए गए उल्लंघन की मौजूदा स्थिति का पता लगाया जा सके।

2. इस निर्णय की प्रयोज्यता पर पुनर्विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि जिन मामलों में लीज होल्ड से फ्री होल्ड में रूपांतरण (कन्वर्जन) के लिए दिनांक 5.3.2008 को अथवा इसके उपरांत आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उन सभी मामलों में अनिवार्य निरीक्षण किया जाना चाहिए। दिनांक 4.3.2008 तक प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर ऐसे आवेदन पत्र मिलने की तारीख को विद्यमान मौजूदा नीति के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उपर्युक्त कार्यालय आदेश को इस प्रकार संशोधित कर दिया गया है। इसे सचिव (शहरी विकास) के अनुमोदन से जारी किया गया है।



(सुरेंद्र सिंह)

उप भूमि एवं विकास अधिकारी

सेवा में,

सभी अधिकारी एवं अनुभाग

प्रतिलिपि:

1. सचिव (शहरी विकास) के निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव (डीएंडएल)
3. भूमि एवं विकास कार्यालय के निजी सचिव
4. कार्यकारी अधिकारी
5. गार्ड फाइल
6. वेबसाइट पर डालने के लिए कम्प्यूटर प्रकोष्ठ
7. पूर्ववर्ती पुस्तिका में प्रविष्टि के लिए सीडीएन